निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 277) पटना, मंगलवार, 10 फरवरी 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्
विद्यापति मार्ग, पटना – 800001

————————

अधिसूचना
20 जनवरी 2015

सं0 1385—**बेगुसराय जिलान्तर्गत श्री बाबा ब्रहम्देवता मंदिर ग्राम+पो0– बिजुलिया, थाना+अंचल– शाम्हो** पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसका निबंधन सं0– 4086/10 है।

बिहार विधान–सभा के 173वें सत्र के लिए दिवंगत वासुदेव सिंह स0वि0प0 से प्राप्त अल्सुचित प्रश्न सं0– आर0टी0 3 में मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई, ताकि मंदिर की चहारदीवारी करवायी जा सके। दिवंगत वासुदेव सिंह, स0वि0प0 से प्राप्त अल्सुचित प्रश्न से संबंधित आश्वासन का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में अंचल पदाधिकारी, शाम्हो से छानबीन कर मंदिर की वर्त्तमान स्थिति, प्रबंधन, सम्पत्ति एवं आय तथा अतिक्रमित भूमि के साथ–साथ मंदिर के सुचारू प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति के गठन के लिए स्वच्छ छवि के ग्यारह प्रतिष्ठित लोगों के नाम की मांग पर्षदीय पत्रांक–2122, दिनांक 14/03/13 द्वारा की गई। उक्त प्रतिवेद प्राप्त नहीं होने पर पर्षदीय पत्रांक–916, दिनांक 17/08/13, पत्रांक– 1230, दिनांक 01/10/13, पत्रांक–1548, दिनांक 02/02/13 एवं पत्रांक–1771, दिनांक 31/12/13 द्वारा उन्हें स्मारित किया गया। अंचल पदाधिकारी, शाम्हो के पूर्व पत्रांक– 014, दिनांक 09/01/14 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह लोगों के नामों की अनुशंसा की गई थी। अंचल पदाधिकारी के पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत हुआ कि न्यास समिति के गठन हेतु अनुशंसित सभी लोग एक ही वर्ग के थे और उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व का अभाव था।

अतः पुनः पर्षदीय पत्रांक–2152, दिनांक 15/02/14, पत्रांक–234, दिनांक 13/03/14, पत्रांक–257, दिनांक 10/06/14, पत्रांक–531, दिनांक 25/07/14 तथा पत्रांक–1108, दिनांक 25/11/14 द्वारा स्थानीय 9–11 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम भेजने का आग्रह किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। उक्त पत्र के आलोक में अंचल पदाधिकारी, शाम्हो का पत्र सं0–349, दिनांक 18/12/14 पर्षद को प्राप्त हुआ, जिसमें न्यास समिति के गठन हेतु सभी वर्गों से 9 सदस्यों का नाम भेजा गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए, इस न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा– 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री बाबा ब्रहम्देवता मंदिर ग्राम+पो0– बिजुलिया, थाना+अंचल– शाम्हो, बेगुसराय** के सुचारू प्रबंधन, सुरक्षा एवं सम्यक विकास

हेतु योजना का निरूपण तथा योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए 09 सदस्यों की एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री बाबा ब्रहम्देवता मंदिर न्यास योजना** ग्राम+पो0– बिजुलिया, थाना+अंचल– शाम्हो, बेगुसराय'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री बाबा ब्रहम्देवता मंदिर न्यास समिति** ग्राम+पो0– बिजुलिया, थाना+अंचल– शाम्हो, बेगुसराय'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, राग–भोग एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय सरकारी नजारत में जमा न कर, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय–व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त्त रूप देने अंचल पदाधिकारी, शाम्हो द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित नौ (9) सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है।

(1) श्री विजय कुमार सिंह पे0 स्व0 जगधर प्रसाद सिंह	–	अध्यक्ष
(2) श्री जर्नादन प्र0 सिंह पे0 स्व0 जटाधारी सिंह	–	सचिव
(3) श्री राम कल्याण पासवान पिता– स्व0 छत्तीस पासवान	–	सदस्य
(4) श्री दयानंद ठाकुर पे0 स्व0 सीतो ठाकुर	–	''
(5) श्री राजेन्द्र यादव पे0 स्व0 राम बदन यादव	–	''
(6) श्री धर्मराज सिंह पे0 सीता राम सिंह	–	''
(7) श्रीमती सरिता देवी पति– श्री राजेश सिंह	–	''
(8) श्री विद्या सिंह पे0 स्व0 किरर सिंह	–	''
(9) श्री राम नरेश सिंह पे0 स्व0 शिव चन्दर सिंह	–	''

उपरोक्त सभी का पता– ग्राम+पो0– बिजुलिया, थाना+प्रखंड– शाम्हो, बेगुसराय

इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसुचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के कार्यकाल आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 277-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in